तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.3 मु. बज्जु :बनाम: रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम गुर्जर साकिन कालोटा तह.खेतड़ी जिला झुंझनू आदि किस्म मुकदमा उपनिवेशन विविध (नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975) मुकदमा संख्या 95 / 18 श्री पैरोकारराज ईकतरफा	

: आदेश :

17.07.2019

1. पत्रावली पेश हुई। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रकरण उपनिवेशन विभाग, बीकानेर से हस्तांतरित होकर दिनांक 02.04.18 को सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को तलब करने पर आवंटी/अप्रार्थी को प्रेषित नोटिस पर "प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गई" नोट अंकित होकर प्राप्त हुआ।

2. तदन्तर प्रकरण में स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि के उपस्थित आने पर विभागीय प्रतिनिधि की ईकतरफा बहस सुनी गयी। विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि आवंटन अधिकारी एवं अति. 'आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 4.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 के चक 6 जीडबल्यूएम(ए) के मुरब्बा नं. 142/19 की 10.17 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन की गयी। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन समिति की बिना राय के व बिना न्यायिक प्रकिया अपनाये नियमो के विपरित जाकर आवंटन किया गया। आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि आवंटन पर्ची में हेराफेरी /कटिंग की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को नियम विरूद्ध किया गय आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

3. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व मूल आवंटन पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया मूल आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके जायज वारिसान रिकार्ड पर नहीं आये है और ना ही आवंटी के जायज वारिसान तलब हुए है। प्रकरण ना तो मेरिट पर गया है व ना ही पत्रावली परिपक्व होकर गुणावगुण पर बहस हुई है। उपर्युक्त स्थिति में प्रकरण की जांच करवाई जाना हम न्यायोचित पाते है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार (राजस्व), बज्जु को भिजवाते हुए आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में आवंटित भूमि व रिकार्ड की जांच करें, जांच से अगर प्रकरण आवंटन नियम 22(3) का बनना पाया जावे तो आवंटी के जायज वारिसान/तृतीय पक्षकारान के विरूद्ध तत्काल न्यायिक प्रक्रियानुसार प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर [लब.]

5. आदेश आज दिनांक 17.07.19 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की प्रति मय स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975 तहसीलदार, (रा) बज्जु को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम हो। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर

जिला कलक्टर, बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Date: 2019.11.29 13:34:31 IST
Reason: SelfAttested